10/03/25 अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता को प्रतिवादगण की तरफ से हेतु पूर्व में पत्रावलि आगामी तारीख पर दिनांक 04.03.25 को 0-9-25 CPC के तहत जानकारी करने की हिदायत दी गई थी। पक्ष वादी अधिवक्ता ने अतिवादगण की तरफ से आदेश एक नहीं कराई है। अतः प्रकरण के आदेश अधिवक्ता पक्ष के तहत जानकारी की तारीख प्रकरण स्थगित रखा या आदेश किया जाता है। अगली तारीख की पत्रावली समय पेशिका के कक्ष नं. 5 की तारीख निर्धारित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested